



2026:AHC: 20284

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट बी संख्या- 322/2026

रवि शंकर

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व एक अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : प्रशांत शर्मा, विभंशु धर द्विवेदी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

- 1- पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।
- 2- प्रस्तुत रिट याचिका मुख्य रूप से निम्नलिखित अनुतोषों की मांग करते हुए दायर किया गया है:-

" परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जो प्रत्यर्थी संख्या 2 को निर्देशित और समादेशित करे कि वह उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, 1953 की धारा 9-ए (2) के अंतर्गत विचाराधीन वाद संख्या 257 की कार्यवाही, जिसमें संशोधन प्रार्थना-पत्र भी शामिल है, तत्काल एक निश्चित अवधि के भीतर निर्णीत करे।"

- 3- विद्वान स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है, यदि उपरोक्त वाद को शीघ्रता से निर्णीत करने का निर्देश जारी किया जाता है।
- 4- इस परिप्रेक्ष्य में, इस मामले को लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा, इसलिए यह न्यायालय रिट याचिका में वर्णित वाद के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, वर्तमान रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करना उचित समझता है। चकबंदी अधिकारी (प्रत्यर्थी संख्या 2) को निर्देशित किया जाता है कि वह संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, विधि के अनुसार एक सकारण और सुस्पष्ट आदेश के माध्यम से, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से अधिमानतः छह माह की अवधि के भीतर उक्त वाद का शीघ्रता से निस्तारण करें।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5- उपरोक्त निर्देश के साथ, यह याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

29 जनवरी, 2026

वी.आर.

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।